छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1012/2008

1. श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, — *अपीलार्थी*
ग्राम–भंडारपुर, तहसील–खैरागढ़,
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* — *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत–भंडारपुर, तहसील–खैरागढ़,
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 03 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री जगदीश प्रसाद तिवारी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए सचिव, ग्राम पंचायत–भंडारपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के समक्ष दिनांक 02.06.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 04. 07.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का निपटारा निर्धारित समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में सचिव/जन सूचना अधिकारी अंतिम सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और अंतिम सुनवाई दिनांक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी वे उपस्थित नहीं हुये, इससे प्रतीत होता है कि आयोग के निर्देशों के पालन के प्रति और सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों के निराकरण के प्रति उनकी गंभीर लापरवाही एवं गैर–जिम्मेदाराना रवैया है । प्रकरण में उन्हें यह भी निर्देश दिये गये थे कि जानकारी का एक सप्ताह में निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे, किन्तु उक्त निर्देश का भी पालन नहीं किया गया । अतः अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–भंडारपुर, जिला–राजनांदगांव को विलंब के लिए दोषी मान्य किया जाता है, किन्तु उक्त कर्मचारी अल्प वेतनभोगी होने के कारण थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए उन पर राशि पॉच हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अब आयोग के पूर्व निर्देशानुसार जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर 15 दिवस में राशि 100/– रूपये तक

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत सचिव के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com